संख्या– I/373519/900 / 67373

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक : 23 फरवरी, 2026**

विषय : प्राधिकरण बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, सदस्य आदि नियुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– दिनांक 29.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–22090 दिनांक 20.01.2026 के क्रम में अवगत कराया गया है कि अधिसूचना संख्या–731 दिनांक 06.06.2014 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 02 गैर सरकारी सदस्य नामित किये जाने का प्राविधान है तथा उक्त 02 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

2. उल्लेखनीय है कि सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–153 दिनांक 11.04.2025 द्वारा धारा 4 में संशोधन करते हुए राज्य प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किये जाने सम्बन्धित प्राविधान को विलोपित किया जा चुका है।

3. अतः उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना द्वारा किये गये संशोधन से अवगत होते हुए समस्त प्राधिकरणों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

Digitally signed by
Narendra Singh Rawat
Date: 23-02-2026
12:33:32

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनुसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

(1) उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(2) उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
(3) उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या–27

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 ई0

चैत्र 21, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 153/XXXVI (3)/2025/11(01)/2025

देहरादून, 11 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025' पर दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 08, वर्ष– 2025 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2025)

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 2 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्रामं नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गयां है) की धारा 2 में – (i) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(ण) "भूमि संग्रहीकरण योजना" से इस अधिनियम की धारा 9–क के अन्तर्गत बनायी गई भूमि संग्रहीकरण योजना या भूमि संग्रहीकरण नियम अभिप्रेत है।" (ii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(थ) "भूमि अधिप्राप्ति नियम" से राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण यथास्थिति, द्वारा अधिप्राप्ति/भूमि क्रय नियमानुसार करने हेतु, इस अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है।"
धारा 4 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 4 में – (क) उपधारा (2–क)(1) के खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ठ) एवं (ड) एवं परन्तुक, विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (3) में– (i) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "जो कि सचिव पद से निम्न स्तर का न हो" शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें। (ii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड

Scanned with OKEN Scanner

		प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(ग) राज्य सरकार के आवास विभाग का भारसाधक सचिव अथवा उसके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, जो कि संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।" (iii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(घ) प्रत्येक जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक (यातायात) यथास्थिति, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है अथवा उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी, जो कि पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर का न हो, पदेन;" (iv) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(च) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, पदेन;" (v) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(छ) सम्बन्धित जिले का नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, पदेन;" (vi) खण्ड (ज) में "उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "जो कि उपजिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो," शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें। (vii) खण्ड (झ) एवं (ञ) विलोपित किये जाते हैं।
धारा 6 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(घघ) उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, पदेन;"

Scanned with OKEN Scanner

धारा 7–क का संशोधन	5.	मूल अधिनियम की धारा 7–क के खण्ड (तेरह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(तेरह–क) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 4 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना;"
धारा 9–क का संशोधन	6.	मूल अधिनियम की धारा 9–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:– **"9–क "नगर नियोजन योजना" एवं "भूमि संग्रहीकरण योजना":–** (1) राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक अथवा अधिक, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना बना सकेगा। (2) इस प्रकार बनाई गई नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहींकरण योजना को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। (3) यदि कोई क्षेत्र, जो स्थानीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है तथा वहाँ नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना तैयार एवं क्रियान्वित की जानी है, तो उस क्षेत्र को राज्य सरकार नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी: परन्तु, राज्य सरकार, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्य प्राधिकरण अथवा राज्य विकास प्राधिकरण से इतर किसी अन्य अभिकरण से भी करा सकेगी। (4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना तत्समय प्रचलित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना पर अधिभावी होगी।"

Scanned with OKEN Scanner

नई धाराओं 9–ख एवं 9–ग का अंतःस्थापन	7.	धारा 9–क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित कर दी जायेंगी; अर्थात्:– "9–ख **राज्य प्राधिकरण एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभाव क्षेत्र की अधिसूचनाः–** (1) राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन योजना अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के प्रारूप यथास्थिति, के अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित योजना के परिधि के प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित कर सकेगी, चूंकि वहाँ के निवासियों को इन योजनाओं में बुनियादी ढाँचे के विकास का लाभ मिलेगा। ऐसा प्रभाव क्षेत्र सम्बन्धित योजनाओं की सीमा से 500 मी0 से अधिक नहीं होगा। (2) प्रभाव क्षेत्र में प्रस्तावित विकास पर नियमों में विहित विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क लगेंगें। 9–ग **विकास पर प्रतिबन्धः–** (1) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के प्रारूप में प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी विकास या निर्माण को स्थिर कर सकेगा, जैसा कि नियमों में विहित हो। (2) राज्य प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण को नगर नियोजन योजना एवं/अथवा भूमि संग्रहीकरण योजना के प्रारूप, जो कि उसके द्वारा जारी की गई हो, के किसी क्षेत्र में किसी भी विकास या निर्माण को स्थिर करने का निर्देश दे सकेगा।"
धारा 17–क का संशोधन	8.	मूल अधिनियम की धारा 17–क में– (i) खण्ड (ग) में "संकलन नीति" शब्दों के स्थान पर "भूमि संग्रहीकरण योजना" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगें। (ii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:– "(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से विहित नियमों के अधीन भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय/समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय।"

Scanned with OKEN Scanner

नई धारा 17–ग का अंतःस्थापन	9.	मूल अधिनियम की धारा 17–ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:– "17–ग स्थानीय विकास प्राधिकरण का भू–बैंक– (1) स्थानीय विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू–बैंक सृजित करने की शक्ति होगी: (क) भूमि अर्जन के समय प्रवृत्त भूमि अर्जन अधिनियम/नियम के अधीन राज्य सरकार, अथवा (ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि, अथवा (ग) भूमि अर्जन/भूमि संग्रहीकरण योजना से, अथवा (घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/ कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से विहित नियमों के अधीन भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय/समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय। (2) स्थानीय विकास प्राधिकरण को अपने भू–बैंक से किसी भूमि को राज्य प्राधिकरण/किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी/अभिकरण/व्यक्ति निजी अथवा लोक को ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तो के निर्बन्धनों के अध्यधीन जैसा समाचीन समझा जाये, को निस्तारित/अंतरित करने की शक्ति होगी।
धारा 18 का संशोधन	10.	मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (6) में "जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील" शब्दों के स्थान पर "राज्य प्राधिकरण के समक्ष निगरानी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगें।"
धारा 55 का संशोधन	11.	मूल अधिनियम की धारा 55 में– (क) उपधारा (1) में "या राज्य प्राधिकरण" शब्द विलोपित किये जाते हैं। (ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) को खण्ड (छ) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जायेगा और खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित

		कर दिये जायेंगें; अर्थात्:— "(ग) धारा 9—क के अन्तर्गत भूमि संग्रहीकरण योजना को राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन हेतु रीति। (घ) धारा 9—क के अन्तर्गत नगर नियोजन योजना को राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन हेतु रीति। (ङ) विकास क्षेत्र एवं प्रभाव क्षेत्र में विकास शुल्क का उद्ग्रहण। (च) किसी व्यक्ति /अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से राज्य प्राधिकरण एवं/अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिप्राप्ति/भूमि क्रय /समझौते के माध्यम से भूमि का क्रय करने, की रीति।"
धारा 59 का संशोधन	12.	धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "विशेष आवास एवं परिषद् योजना के रूप में निर्दिष्ट किये जायेंगें, प्रारम्भ किये गये है)" शब्दों एवं कोष्ठक के पश्चात् शब्द "उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तराखण्ड पर्यटन क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 106 की उपधारा (2) के खण्ड (क), धारा 106(घ), 106(ङ), 106(च), 106(छ), 106(ज), 106(झ), 106(ञ) एवं 106(ट)" शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें।

आज्ञा से,

धनंजय चतुर्वेदी,

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए सुनियोजित विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है। सुनियोजित विकास को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। सुनियोजित विकास की इस प्रक्रिया में प्राधिकरण तथा आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना अपरिहार्य है तथा समावेशी विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी है। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, आमजन की सुविधा एवं हितों में सन्तुलन स्थापित करने, सुनियोजित विकास हेतु "नगर नियोजन योजना" एवं "भूमि संग्रहीकरण योजना" का क्रियान्वयन किये जाने, भू–बैंक स्थापित कर प्राधिकरणों को अधिक सशक्त एवं क्रियाशील बनाये जाने के उद्देश्य से विधेयक पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

Scanned with OKEN Scanner